निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श0)

(सं0 पटना 863) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

19 फरवरी 2020

सं० 2917—श्री बाबा पतालेश्वरनाथ महादेव मंदिर, हाजीपुर, जिला–वैशाली पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–502 है।

इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1095, दिनांक–21.11.2014 के द्वारा निरूपित योजना के कार्यान्वन के लिए पर्षदीय आदेश ज्ञापांक–1416, दिनांक–23.01.2015 द्वारा सात सदस्यों की न्यास समिति गठित की गयी थी, समय–समय पर इसमें पर्षदीय आदेश के द्वारा न्यास समिति के कार्यवृद्धि के लिए कुछ सदस्यों को जोड़ा गया एवं कार्य संतोषप्रद नहीं पाने के कारण हटाया भी गया। न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। न्यास समिति के कुछ पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा न्यास के उन्नयन एवं विकास हेतु काफी कार्य किया गया है। इसलिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अनतर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतित होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री बाबा पतालेश्वरनाथ महादेव मंदिर, हाजीपुर, जिला–वैशाली** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री बाबा पतालेश्वरनाथ महादेव मंदिर, हाजीपुर, जिला–वैशाली न्यास योजना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री बाबा पतालेश्वरनाथ महादेव मंदिर, हाजीपुर, जिला–वैशाली न्यास समिति''** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर या न्यास के नाम पर पूर्व में खुले हुए खता में जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय–व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. **न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू–सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।**

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	श्री गंगा प्रसाद (अ0 प्रा0, जिला जज)	–	अध्यक्ष
(2)	श्री विनय कुमार सिंह (अ0 प्रा0, जिला जज)	–	उपाध्यक्ष
(3)	श्री अनिल चन्द कुशवाहा	–	सचिव
(4)	श्री दीपक दानवीर	–	सह–सचिव
(5)	श्री मधुमंगल शर्मा	–	कोषाध्यक्ष
(6)	श्री के0 के0 बुबना	–	सदस्य
(7)	डॉ0 प्रणय पुन्ज	–	सदस्य
(8)	श्री प्रकाश सत्यार्थी, अधिवक्ता	–	सदस्य
(9)	श्री सत्यजीत कुमार	–	सदस्य
(10)	श्रीमती आरती शर्मा	–	सदस्य

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री बाबा पतालेश्वरनाथ महादेव मंदिर, हाजीपुर, जिला–वैशाली) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है कि पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इनको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 863-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in